Extent of payment made to Advocates

48. Sh. Neeraj Sharma, MLA (NIT Faridabad)

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) The number of hearings in the Hon'ble High Court for the case number CWP 26573 of 2021 regarding 75% reservation in Jobs in Private Sector;

b) The number of hearings in which Sh. Baldev Raj Mahajan, Advocate General personally appeared in the Hon'ble High Court in favour of Government in the above said case together with the extent of payment made by the Government to Sh. Baldev Raj Mahajan from the date of his appointment till 30 November, 2023; and

c) Whether it is a fact that the private advocates are hired by the Government in other matters/cases in the Hon'ble High Court; if so, the extent of payment made by the Government from 1st January, 2020 to 30 November, 2023 in this regard together with the details thereof?

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Sir**,**

(a) Total number of hearings in the Hon'ble High Court for the case CWP No. 26573 of 2021 and eight other connected cases challenging 75% reservation in jobs in private sector is 30.5

(b) Sh. Baldev Raj Mahajan, Advocate General, Haryana appeared in the case on the first hearing to oppose grant of stay and thereafter, Sh. Tushar Mehta, Solicitor General appeared in one hearing in the High Court to oppose the plea for stay matter and thereafter, Sh.Puneet Bali, Senior Advocate along with Sh. Jagbir Malik, Additional Advocate General appeared for the State of Haryana to defend the Act and attended 26 hearings in the case whereas two hearings were attended only by Sh. Jagbir Malik, Additional Advocate General.

No Counsel fee was paid to Sh. Baldev Raj Mahajan, Advocate General, Haryana in these cases as the Advocate General, Haryana is not claiming counsel fee in any case but has been only drawing monthly retainership. (Rs.2,50,000/- per month from 10.11.2014 to 16.11.2021 and Rs.4,50,000/- per month from 17.11.2021 till date).

c) The Government engaged private Counsels in another batch of petitions relating to rejection of recommendations for promotion of Civil Judges to the post of Additional District Judges.

Sh.Vikramjit Banerjee, Additional Solicitor General of India appeared in CWP No. 19775 of 2023 and other connected cases i.e. CWP No.22818 of 2023, CWP No.23804 of 2023 and CWP No.26217 of 2023 in the Hon'ble High Court between 1st January,2020 to 30.11.2023.

Shri Tushar Mehta, Solicitor General of India was paid Rs.4,40,000/- as counsel fee for appearance in High Court and Shri Punit Bali, Senior Advocate was paid counsel fee @ Rs.2,20,000/- per hearing for nine cases of 75% reservation which amounted to a total of Rs.55,44,000/- as Counsel fee. No counsel fee has been paid to Vikramjit Banerjee as yet decision in said case is still pending.

अधिवक्ताओं को किये गये भुगतान की सीमा

48. नीरज शर्मा विधायक, एनआईटी फरीदाबाद

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:.

(क) निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण के संबंध में 2021 के मामले संख्या सीडब्ल्यूपी 26573 के लिए माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई की संख्या;

(ख) सुनवाई की संख्या जिसमें श्री महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त मामले में सरकार के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए और साथ ही सरकार द्वारा श्री बलदेव राज महाजन को उनकी नियुक्ति की तिथी से दिनांक 30 नवंबर 2023 तक किए गए भुगतान की राशि भी बताई जाए।

(ग) क्या यह सच है कि माननीय उच्च न्यायालय में अन्य मामलों केसों में सरकार द्वारा निजी अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है यदि हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा 01 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023 तक कितना भुगतान किया गया और उसका ब्यौरा क्या है।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

श्रीमान जी,

(क) प्राईवेट सेक्टर में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका संख्या 26573 ऑफ 2021 और अन्य आठ संबद्ध मामलों के लिए माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई की कुल संख्या 30 है।

(ख) श्री बलदेव राज महाजन, महाधिवक्ता हरियाणा रोक आदेश के विरूध प्रथम सुनवाई पर मामले में उपस्थित हुए और उसके बाद, श्री तुषार मेहता, सालिसिटर–जनरल रोक मामले कें विरूध उच्च न्यायालय में एक सुनवाई पर उपस्थित हुए और उसके बाद, श्री जगबीर मलिक, अपर महाधिवक्ता के साथ श्री पुनित बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, मामले में हरियाणा राज्य के लिए अधिनियम का बचाव करने हेतु 26 सुनवाईयों पर उपस्थित हुए और श्री जगबीर मलिक, अपर महाधिवक्ता दो सुनवाईयों पर उपस्थित हुए थे।

इन मामलों में श्री बलदेव राज महाजन, महाधिवक्ता, हरियाणा को किसी काउंसेल फीस का भुगतान नहीं किया गया था, चूंकि महाधिवक्ता, हरियाणा किसी मामले में काउंसेल फीस का दावा नहीं करता है, किन्तु वह 10.11.2014 से 16.11.2021 तक प्रतिमास 2,50,000/– रूपए तथा दिनांक 17.11.2021 से अब तक 4,50,000/– रूपए की केवल मासिक प्रतिधारण फीस प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) सरकार ने सिविल न्यायाधिशों का अपर जिला न्यायाधीशो के पद पर पदोन्नति हेतु सिफारिशों को रद्द करने के सम्बन्ध में याचिकाओं के लिए अन्य बैंच में निजी काउंसेल नियोजित किए। श्री विक्रमजीत बैनर्जी, भारतीय अपर सालिसिटर–जनरल सिविल याचिका संख्या 19775 ऑफ 2023 तथा अन्य सम्बन्धित मामलों अर्थात् सिविल याचिका संख्या 22818 ऑफ 2023, सिविल याचिका संख्या 23804 ऑफ 2023 तथा सिविल याचिका संख्या 26217 ऑफ 2023 में प्रथम जनवरी, 2020 से 30.11.2023 के बीच उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए।

श्री तुषार मेहता, भारतीय सालिसिटर जनरल को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 4,40,000/–रूपए की काअंसेल फीस का भुगतान किया गया तथा श्री पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता को 75 प्रतिषत आरक्षण के नौ मामलों में 2,20,000/–रूपए प्रति सुनवाई की दर से काउंसेल फीस का भुगतान किया गया तथा कुल 55,44,000/–रूपए काउंसेल फीस का भुगतान किया गया। श्री विक्रमजीत बैनर्जी को अभी तक किसी भी काउंसेल फीस का भुगतान नहीं किया गया है, चूंकि उक्त मामले में निर्णय अभी लम्बित है।

NOTE FOR PAD

In CWP No. 26573 of 2021 with eight other connected matters challenging 75% reservation in jobs in Private Sector, private Counsels were engaged. 30 hearings in total took place in the case. Advocate General appeared on the first hearing to oppose grant of stay and on one hearing Sh. Tushar Mehta, Solicitor General appeared in High Court to oppose stay. The High Court, however, granted stay order. After stay order was set aside by Supreme Court of India, Sh. Puneet Bali, Senior Advocate along with Sh. Jagbir Malik, Addl. AG appeared for the State. Advocate General had not claimed any Counsel Fee as Advocate General was drawing monthly retainership of Rupees two lacs and fifty thousand per month from 10/11/2014 to 16/11/2021 and rupees four lacs and fifty thousand per month from 17/11/2021 onwards. Sh. Tushar Mehta, Solicitor General of India was paid counsel fee of Rs.4,40,000/- and Sh. Puneet Bali was paid total fee of Rs. 55,44,000/- @ Rs. 2,20,000/- per hearing for nine cases for 26 hearings.

In CWP No. 19775 of 2023 with other connected matters relating to rejection of recommendation for promotion of Civil Judges to the post of Additional District Judges, private Counsel was engaged. Sh. Vikramjit Banerjee, Additional Solicitor General of India appeared in the cases between 01/01/2020 to 30/11/2023. No counsel fee has been paid to Sh. Vikramjit Banerjee as yet decision in the said cases is still pending.

<u>Rates of Payment of fees to Law Officers/Panel of Advocates w.e.f. 02.09.2015</u>

1.	**Before the Hon'ble Supreme Court of India at New Delhi:**	
	I. Fee for designated Senior Advocates in Panel Grade A:	
	a) Per appearance: for effective dates	Rs.2,50,000/- per hearing (effective date) including 10% clerkage.
	b) Bunch matters. :	25% of the fee of main case (per case in the bunch) (Subject to a cap of Rs.10 lakhs).
	c) Conference fee:	Rs. 55,000/- including 10% clerkage (Be it one case or bunch)
	d) Settling of petition/counter/re-joinder/opinion	Rs.22,000/- including 10% clerkage. Be it one or Bunch matter.
2.	**Fee for Advocate General, Haryana in cases before the Supreme Court:** Will be same as payable to Panel Grade' A' Counsel. The Advocate General, Haryana shall also be allowed fee as payable to Panel Grade 'A' Counsel when appearing on behalf of Government Department before the Supreme Court of India.	
3.	**Fee for Advocates in Panel 'Grade B':**	
	a) Per appearance for effective dates including Conference fee.	Rs. 1,10,000/- per appearance (effective date) including 10% clerkage.
	b) Bunch matters:	25% of the fee of the main case (per case in the bunch) (subject to a cap of Rs. 5.50 Lakh)
	c)Settling of petition /counter/ re-joinder/	Rs.55,000/- including 10% Clerkage. Be it

	opinion.:	one or bunch Matter.
4.	**Fee for Panel Counsel:** a) Per case: b) Bunch matters:	 Rs.22,000/- per case including 10% clerkage+ actual expenses. 25% of the fee for the main case (per case in the bunch) + actual expenses (Subject to a cap of Rs. 1.10 Lakh)
5.	**Fee for Advocates-on Record/Standing Counsel/Additional Standing Counsel before Supreme Court of' India at New Delhi:**	
	<u>Particulars</u>	**<u>Rates</u>**
	i) Court appearance in Admission matters	Rs. 2200/- per hearing or Rs. 11,000/- for the whole *case, whichever is lower.*
	ii) Court appearance in Bunch matters at admission stage	*Rs. 4400/- per hearing or* *Rs. 22000/- for the whole case whichever is lower.*
	iii) Regular hearing	*Rs. 3000/- per hearing or* *Rs. 15000/- for the whole case, whichever is lower.*
	iv) Regular hearing in bunch matter.	*Rs. 6000/- per hearing or* *Rs.30000/-for the whole case whichever is lower.*
	v) Drafting SLPs/WPs.	*Rs. 2000/- per case.*
	vi) Drafting SLPs/)WPs (Bunch matters).	*Rs. 4000/- per group/bunch*
	vii) Drafting transfer petition.:	*Rs. 1000/- per case.*
	viii)Drafting Transfer petition: (Bunch matters).	*Rs. 2000/- per bunch*
	ix) Drafting suits:	*Rs. 10000/- per suit.*
	x) Drafting Suits (Bunch):	*Rs. 20000/- per bunch.*
	xi) Drafting counter-affidavit and rejoinder affidavits.	*Rs. 2000/- per case*
	xii)Drafting Counter Affidavit: and Rejoinder Affidavits (Bunch matters).	*Rs. 2000/- per bunch.*
	xiii) Written submissions:	*Rs. 2000/- per case*
	xiv) Written submissions: (Bunch matters)	*Rs. 4000/- per bunch*
	xv) Miscellaneous applications	Rs. 600/- per case
	xvi) Miscellaneous applications (Bunch matters)	Rs. 1200/- per bunch
	xvii) Inspection of original record: preparation of list of documents and bill of costs.	*Rs. 600/- per case*
6.	**Before the Hon'ble High Court at Chandigarh when engaged by Boards/Corporations/ Autonomous Bodies etc.:**	
	(i). When the Advocate General, Haryana is engaged by Boards/. Corporations etc.	Rs.1,10,000/- per case (additional amount @ 25% of the fee for the main case shall be paid for each additional case in bunch matter. (Subject to a cap of Rs.5.50 Lakhs). The fee for opinions sought by the Boards/ Corporations etc. shall be Rs. 22,000/- per case.

7.	**Fee for Senior Advocate/Additional Advocate General/Panel Counsel when engaged by Boards/Corporations before the Hon'ble High Court at Chandigarh:**	
	1. When Senior Advocate is engaged by the Boards/Corporation/, Autonomous Bodies etc.	Rs. 44,000/- per case including 10% clerkage. (additional amount @ 25% of the fee for each additional case in bunch matter). (Subject to cap of Rs.2.20 Lakhs).
	2. When Additional Advocate General is engaged by the Boards/ Corporation, Autonomous Bodies etc.	Rs. 33,000/- per case including 10% clerkage. (additional amount 25% of the fee for each additional case in bunch matter) + actual expenses. (Subject to a cap of Rs.1.65 Lakhs).
	3. When an empanelled Advocate is engaged by any Boards/ Corporations Autonomous Bodies etc.	Rs. 16,500/- per case including 10% clerkage (additional amount @ 25% of the fee for each additional case in bunch matter) + actual expenses. (Subject to a cap of Rs.82,500/-).
8.	**Fee for empanelled Advocate before the District Court/Tribunals/ Commissioners/ Forums/Lok Adalat etc. at Chandigarh or at District Head Quarters, Tehsil and Sub Tehsil level in the State of Haryana.**	A fee of Rs. 11,000/- per case including 10% clerkage (additional amount @ 25% of the fee for each additional case in bunch matter) + actual expenses. (Subject to a cap of Rs.50,000).
9.	**Fee for Senior Advocate/Additional Advocate General/Panel Counsel when engaged by Boards/Corporations before the Hon'ble Supreme Court of India, Delhi High Court, NGT, National Consumer Commission or Competent Commission.**	
	I. When Senior Advocate is engaged by the Boards/ Corporation, Autonomous Bodies etc.	Rs. 44,000/- per case including 10% clerkage. (additional amount @ 25% of the for each additional case in bunch matter). (Subject to a cap of Rs.2.20 lacs).
	2. When Addl. Advocate General is engaged by the Boards/ Corporation, Autonomous Bodies etc.	Rs. 33,000/- per case including 10% clerkage. (additional amount @ 25% of the fee for each additional case in bunch matter) + actual expenses. (Subject to a cap of Rs.1.65 Lakh).
	3. When an empanelled Advocate is engaged by any Boards/Corporations Autonomous Bodies etc.	Rs. 16,500/-per case including 10% c1erkage (additional amount @ 25% of the fee for each additional case in bunch matter) + actual expenses (Subject to maximum of Rs.82,500/-)
10	**Fee for empanelled Advocate before the District Courts/ Tribunals/ Commissions/ Forums/ Lok Adalats, etc. at Delhi**	A fee of Rs. 11,000/- per case including 10% clerkage (additional amount @ 25% of the fee for each additional case in bunch matter) + actual expenses. (Subject to a cap of Rs.50,000).
NOTE: The fee structure prescribed for Additional Advocate General, Haryana with respect to the Boards/Corporations etc., as aforesaid, shall however not be applicable with respect to Additional Advocate General, Haryana, who have also been appointed as Standing Counsel by the respective Board/Corporations etc. In such event, the terms and conditions as agreed into between such Additional Advocate General, Haryana and respective Boards/Corporations etc. shall be applicable.		

Note: 1. In all other cases not covered by the above, counsel fee shall be paid as settled in consultation with the Advocate General, Haryana. In cases having heavy stakes or special matters, higher Counsel fee can be settled with the prior approval of the competent authority.

2. This issue with the concurrence of the Finance Department conveyed vide their U.O. No. 12/16/2015-2FG-I/13079(16), dated 31.05.2016.

पैड के लिए नोट

प्राईवेट सेक्टर में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाले 8 अन्य संबद्ध मामलों सहित सिविल रिट याचिका संख्या 26573 ऑफ 2021 में निजी काउंसेल नियोजित किए गए थे। मामले में कुल 30 सुनवाई हुई। महाधिवक्ता हरियाणा मामले में रोक आदेश के विरूध प्रथम सुनवाई पर उपस्थित हुए तथा श्री तुषार मेहता, सालिसिटर–जनरल रोक आदेश के विरूध उच्च न्यायालय में एक सुनवाई पर उपस्थित हुए। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा रोक आदेश प्रदान किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक आदेश को रद्ध करने के बाद, श्री पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य की ओर से श्री जगबीर मलिक, अपर महाधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। महाधिवक्ता द्वारा काउंसेल फीस का दावा नहीं किया जाता है, चूंकि महाधिवक्ता, दिनांक 10.11.2014 से 16.11.2021 तक प्रति मास दो लाख पचास हजार रूपए तथा 17.11.2021 से आगे प्रति मास चार लाख पचास हजार रूपए प्रतिधारण फीस प्राप्त कर रहे है। श्री तुषार मेहता, भारत के सालिसिटर–जनरल को 4,40,000/–रूपए काउंसेल फीस भुगतान की गई तथा श्री पुनीत बाली को 9 मामलों में 26 सुनवाईयों के लिए 2,20,000/–रूपए की दर से कुल 55,44,000/–रूपए फीस भुगतान की गई।

सिविल न्यायाधीशों से अपर जिला न्यायाधीशों के पदों पर पदोन्नति की सिफरिश को रद्द करने से सम्बन्धित अन्य संबद्ध मामलों के साथ सिविल रिट याचिका संख्या 19775 ऑफ 2023 में, प्राईवेट काउंसेल को विनियोजित किया गया था। श्री विक्रमजीत बैनर्जी, भारत के अपर सालिसिटर–जनरल 01.01.2020 से 30.11.2023 के दौरान मामलों में उपस्थित हुए। श्री विक्रमजीत बैनर्जी को अभी तक कोई काउंसेल फीस भुगतान नहीं की गई है, चूंकि उक्त मामलों में निर्णय अभी लम्बित है।

विधि अधिकारियों/पैनल के अधिवक्ताओं को फीस के भुगतान की दरें 02.09.2015 से लागू।

1.	**नई दिल्ली में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्षः** **1. पैनल ग्रेड ए में नामित वरिष्ठ अधिवक्तओं के लिए फीस**	
	a) प्रति उपस्थिति प्रभावी तिथियों के लिए।	रूपये 2,50,000 प्रति प्रभावी सुनवाई सहित 10% लिपकीय खर्चा।
	b) सामूहिक मामले	मुख्य मामले की फीस का 25% (समूह में प्रति मामला) अधिकतम सीमा रूपये 10 लाख।
	c) परामर्श शुल्क	रूपये 55 हजार सहित 10% लिपिकीय खर्चा (चाहे वह एक मामला हो या समूह)।
	d) याचिका/प्रतिवाद/पुनः प्रतिवाद तैयार करना/राय देना	रूपये 22 हजार सहित 10% लिपिकीय खर्चा (चाहे वह एक मामला हो या समूह)।
2.	**उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में हरियाणा के महाधिवक्ता के लिए फीसः** पैनल ग्रेड 'ए' अधिवक्ता को देय के समान ही होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकारी विभाग की ओर से पेश होने पर महाधिवक्ता, हरियाणा को पैनल ग्रेड 'ए' अधिवक्ता को देय फीस दी जाएगी।	

3.	पैनल 'ग्रेड बी' अधिवक्ताओं के लिए फीस	
	a) प्रति प्रभावी पेशी सहित परामर्श फीस	रूपये 1,10,000 प्रति प्रभावी सुनवाई सहित 10% लिपकीय खर्चा
	b) सामूहिक मामलें	मुख्य मामले की फीस का 25% (समूह में प्रति मामला) अधिकतम सीमा रूपये 5 लाख 50 हजार।
	c) याचिका/प्रतिवाद/पुनः प्रतिवाद तैयार करना/राय देना	रूपये 22 हजार सहित 10% लिपिकीय खर्चा (चाहे वह एक मामला हो या समूह)
4.	पैनल अधिवक्ता के लिए फीसः	
	a) प्रति केसः	रूपये 22 हजार सहित 10% लिपिकीय व वास्तविक खर्चा
	b) सामूहिक मामलें	मुख्य मामले की फीस का 25% (समूह में प्रति मामला) रहित वास्तविक खर्चा (अधिकतम सीमा रूपये 1 लाख 10 हजार।)
5.	नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एडवोकेट ऑन रिकार्ड/स्टेंड़िग काउंसल/ अतिरिक्त स्टेंड़िग काउंसल की फीस	
	विवरणः	दरेः
	I. शुरूआती मामलों में अदालत में पेश होने पर।	बाइसौ रूपये प्रति सुनवाई या पूरे मामले के लिए ग्यारह हजार रूपये, जो भी कम हो
	II सामूहिक मामलों में अदालत में पेश होने पर।	च्वालीस सौ रूपये प्रति सुनवाई या पूरे मामले के लिए बाईस हजार रूपये, जो भी कम हो
	III. नियमित सुनवाई	तीन हजार रूपये प्रति सुनवाई या पूरे मामले के लिए पंद्रह हजार रूपये, जो भी कम हो
	IV. सामूहिक मामलों में नियमित सुनवाई	छः हजार रूपये प्रति सुनवाई या पूरे मामले के लिए तीस हजार रूपये, जो भी कम हो।
	V. एस0एल0पी0/डब्ल्यू0 पी0 का डराफ्ट तैयार करना	दो हजार रूपये प्रति केस
	VI. एस0एल0पी0/डब्ल्यू0 पी0 (सामूहिक मामले) का डराफ्ट तैयार करना	चार हजार रूपये प्रति ग्रुप/समूह
	VII. स्थानांतरण याचिका ड्राफ्ट तैयार करना	एक हजार रूपये प्रति केस
	VIII. स्थानांतरण याचिका (सामूहिक मामले) ड्राफ्ट तैयार करना	दो हजार रूपये प्रति समूह
	IX. दावा ड्राफ्ट करना	दस हजार रूपये प्रति दावा
	X. सामूहिक दावें ड्राफ्ट करना	बीस हजार रूपये प्रति समूह
	XI. काउंटर एफिडेविट और जॉन्डर एफिडेविट तैयार करना	दो हजार रूप्ये प्रति केस
	XII. सामूहिक काउंटर एफिडेविट और जॉन्डर एफिडेविट तैयार करना	दो हजार रूपये प्रति समूह

	XIII लिखित सबमिशनस	दो हजार रूपये प्रति केस
	XIV सामूहिक लिखित सबमिशनस	चार हजार रूपये प्रति समूह
	XV. मिसलेनियस एपलीकेशनस	छः सौ रूपये प्रति केस
	XVI सामूहिक मिसलेनियस एपलीकेशनस	बारह सौ रूपये प्रति समूह
	XVII मूल रिकॉर्ड का निरीक्षणः दस्तावेजों की सूची और लागत का बिल तैयार करना।	छः सौ रूपये प्रति केस
6.	**बोर्डो/ निगमों/स्वायत्त निकायों आदि द्वारा इंगेज करने पर माननीय चण्ड़ीगढ़ उच्च न्यायालय के समक्षः**	
	(I) जब महाधिवक्ता हरियाणा को बोर्ड/निगम आदि द्वारा नियुक्त किया जाता है।	रूपये एक लाख दस हजार प्रति केस (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा रूपये पांच लाख पच्चास हजार) बोर्ड निगम आदि द्वारा कानूनी राय मांगने पर बाईस हजार रूपये प्रति केस फीस देय होगी।
7.	**चंडीगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बोर्ड़ो /निगमों द्वारा नियुक्त किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/पैनल काउंसल के लिए फीस**	
	1. जब वरिष्ठ अधिवक्ता को बोर्ड/निगम/स्वायत्त निकाय आदि द्वारा नियुक्त किया जाता है।	च्वालीस हजार प्रति केस सहित दस प्रतिशत लिपिकीय खर्चा (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा दो लाख बीस हजार)
	2. जब अतिरिक्त महाधिवक्ता को बोर्ड/निगम/स्वायत्त निकाय आदि द्वारा नियुक्त किया जाता है	तेतीस हजार प्रति केस सहित दस प्रतिशत लिपिकीय खर्चा (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत रहित वास्तविक खर्चे के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा एक लाख पैसठ हजार)।
	3. जब किसी पैनल अधिवक्ता को किसी बोर्ड/निगम/ स्वायत्त निकाय आदि द्वारा नियुक्त किया जाता है	सोलह हजार पांच सौ प्रति केस सहित दस प्रतिशत लिपिकीय खर्चा (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत रहित वास्तविक खर्चे के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा ब्यासी हजार पांच सौ रूप्ये)।
8.	चंडीगढ़ में जिला न्यायालय/ न्यायाधिकरण/ आयुक्त/ फोरम/लोक अदालत आदि के समक्ष या हरियाणा राज्य में जिला मुख्यालय, तहसील और उप–तहसील स्तर पर पैनल में शामिल वकील के लिए फीस	ग्यारह हजार प्रति केस सहित दस प्रतिशत लिपिकीय खर्चा (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत रहित वास्तविक खर्चे के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा पच्चास हजार)।
9.	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय, दिल्ली उच्च न्यायालय/एनजीटी/राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग या सक्षम आयोग के समक्ष बोर्डो/निगमों द्वारा नियुक्त किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता/अतिरिक्त माहधिवक्ता/पैनल काउंसिल के लिए फीस	
	1. जब वरिष्ठ अधिवक्ता को बोर्ड/निगम, स्वायत्त निकाय आदि द्वारा नियुक्त किया जाता है।	च्वालीस हजार प्रति केस सहित दस प्रतिशत लिपिकीय खर्चा (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा दो लाख बीस हजार रूपये)।

	2. जब अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति बोर्डो/निगमों स्वायत्त निकायों आदि द्वारा की जाती है।	तेतीस हजार प्रति केस सहित दस प्रतिशत लिपिकीय खर्चा (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत रहित वास्तविक खर्चे के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा एक लाख पैसठ हजार रूपये)।
	3. जब एक पैनल में शामिल वकील को किसी बोर्ड/निगम, स्वायत्त निकाय आदि द्वारा नियुक्त किया जाता है।	सोलह हजार पांच सौ प्रति केस सहित दस प्रतिशत लिपिकीय खर्चा (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत रहित वास्तविक खर्चे के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा ब्यासी हजार पांच सौ रूपये)।
10.	दिल्ली में जिला न्यायालयों/न्यायधिकरणों/आयोगों/फोरम /लोक अदालतों आदि के समक्ष पैनल में शामिल वकील के लिए फीस।	ग्यारह हजार प्रति केस सहित दस प्रतिशत लिपिकीय खर्चा (अतिरिक्त फीस मुख्य मामले की फीस के पच्चीस प्रतिशत रहित वास्तविक खर्चे के हिसाब से सामूहिक मामलों में फीस देय है) (अधिकतम तय सीमा पच्चास हजार रूपये)।
	नोटः जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह फीस स्ट्रेक्चर उन अतिरिक्त महाधिवक्ताओं पर लागू नही होगा जो, किसी बोर्ड/निगमों आदि द्वारा स्टेंडिग काउंसल भी नियुक्त किया हुआ है। ऐसी स्थिति में, सम्बंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा और सम्बंधित बोर्ड/निगम के बीच में आपसी सहमति से तय की गई नियम व शर्ते लागू।	

नोटः 1. अन्य सभी केसों मे जोकि, उपरोक्त में शामिल नही किए गये है ऐसे मामलों में महाधिवक्ता, हरियाणा से परामर्श के बाद तय फीस के अनुसार अदायगी की जाएगी। खास और विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ ज्यादा काउंसल फीस भी तय की जा सकती है और भुगतान किया जा सकता है।

2. यह मुद्दा वित्त विभाग की सहमति वाया UO No.12/16/2015–2FG–I/13079 (16) दिनांक 31.05.2016 द्वारा जारी किया गया है।